

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/विविध-06-235/18/राँची, दिनांक :/...../.....

—: आदेश :—

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981/वि. दिनांक 01.09.2009 एवं 1746/वि. दिनांक 12.08.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 08.01.19 को विभागीय स्त्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं 05 में वर्णित तिथि से क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनगान् PB-III रु. 15600-39100, ग्रेड पे 5400 एवं PB-III रु. 15600-39100, ग्रेड पे 7600 में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/पदस्थापन स्थान/गृह जिला/जन्म तिथि/आई.डी.कोड	नियुक्ति की तिथि	वीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान PB-III 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400/- देय तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान PB-III 15600-39100 ग्रेड पे 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सैयद शकील अहमद/से० नि० कनीय अभियंता/जे० 2989/ल०सि० प्रमण्डल, हुसैनाबाद/भागलपुर/20.01.49 (सेवानिवृत्त)	16.02.73	—	01.09.08	
2.	स्व० आशीष कुमार सिन्हा/जे०-351/सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़/संथालपरगना/21.01.1950 (सेवानिवृत्त)	26.11.73	—	01.09.08	
3.	श्री राम अनेक ठाकुर/जे०-8549/लघु सिंचाई प्रमंडल, रौंछी/सीतामढ़ी/02.01.63	22.04.88	01.09.08	—	
4.	श्री रंजीत प्रसाद दास, सेवानिवृत्त (सहायक अभियंता, चालू प्रभार)/जे०-4103/सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़/कटिहार/06.07.1949 (सेवानिवृत्त)	08.09.75	—	01.09.08	

Задание

1	2	3	4	5	6
5.	श्री दिनेश प्रसाद सिंह / जे०-8943 बी / लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद / सारण / 25.01.1957 (सेवानिवृत्त)	05.03.90	05.03.10	—	
6.	श्री राम शंकर प्रसाद सिंह / जे०-7225 / पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी शिविर-देवघर / समस्तीपुर / 25.01.54 (सेवानिवृत्त)	23.03.79	—	23.03.09	
7.	श्री रंग विहारी राय / जे०-8898 / सिंचाई प्रमंडल सं०-02, सिकटिया (देवघर) / रोहतास / 16.07.58 (सेवानिवृत्त)	11.10.88	11.10.08	—	
8.	श्री कामता प्रसाद सिंह / जे०-5589 / सिंचाई अंचल, जामताड़ा / गया / 25.07.58 (सेवानिवृत्त)	03.02.79	—	03.02.09	
9.	श्री अशोक कुमार सिन्हा / जे०-5080 / सिंचाई प्रमंडल सं०-02, जामताड़ा / गुजपफरपुर / 27.01.1955 (सेवानिवृत्त)	01.02.79	—	01.02.09	
10.	श्री राजीव कुमार झा / जे०-8646 / गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज / मधुबनी / 15.07.1957 (सेवानिवृत्त)	27.04.88	01.09.08	—	
11.	स्व० श्रीनंदन सिंह / जे०-5572 ए० / गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज / मुँगेर / 20.01.1956 (सेवानिवृत्त)	31.01.79	—	31.01.09	
12.	श्री कौशल किशोर तिवारी / जे०-6950 / सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ / वैशाली / 04.07.1955 (सेवानिवृत्त)	01.03.79	—	01.03.09	
13.	श्री नरेन्द्र देव सिंह / जे०-4497 (ए) / सिंचाई प्रमंडल, दुमका / वेगुसराय / 01.02.1951 (सेवानिवृत्त)	25.01.79	—	25.01.09	

1	2	3	4	5	6
24.	श्री प्रमोद प्रसाद सिंह / जे०-6127 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लोहरदगा / नालंदा / 03.11.55 (सेवानिवृत्त)	31.01.79	—	31.01.09	
25.	श्री रजनीकांत श्रीवास्तव / जे०-8949 ए / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरगा / भोजपुर / 03.02.59 /	20.12.88	20.12.08	—	
26.	श्री राधाकान्त राह / जे०-4467 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार / मधुबनी / 16.10.1951 (सेवानिवृत्त)	02.02.79	—	02.02.09	
27.	श्री सिद्धिनाथ सिंह (से.नि.) / जे०-5776ए / ग्रा० वि० वि० प्र०, राँची / 12.01.55 से० नि०-31.01.15	05.02.79	—	05.02.09	
28.	श्री राजीव कुमार / जे०-7715 / झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० / 01.01.1965	19.01.87	01.09.08	—	
29.	श्री परमात्मा मिश्र / जे०-6216 / खरकई बाँध प्रमंडल सं०-02, ईचा चालियामा / भोजपुर / 02.01.55 (सेवानिवृत्त)	31.01.79	—	31.01.09	

(ख) वित्तीय उन्नयन के तहत प्रदत्त वित्तीय लाभ उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से सत्यापनोपरांत ही देय होगा।

(ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुस्त वसूली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा। इस निमित्त संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लाभ प्रदान करने के पूर्व संबंधित कर्म से Under taking लेना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -
(हेमन्त कुमार भक्त)
संयुक्त सचिव (प्र०)



रॉची, दिनांक :-

हो/-

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

३०/-

ज्ञापांक :- 715

रॉची, दिनांक :- 20/02/19

20204
18-2-19

(हेमन्त कुमार भक्त)
संयुक्त सचिव (प्र०)

此